



रा.रा. श्रीमान <sup>राजस्व मन्त्रालय</sup> महोदय संभाग इन्दौर  
अग 3665/PBR-16

सुधीरकुमार पिता सतीशचन्द्र नायक  
उम्र :- 44 साल, धंधा :- कृषि एवं वकालात  
नि. :- ग्राम रंगवासा तहसील देपालपुर जिला इन्दौर — प्रार्थी

विरुद्ध

- 1 — सुशीलादेवी पति श्री लीलाधर जी  
उम्र :- मालुम नही, धंधा :- कुछ नही  
नि. :- खजराना जिला इन्दौर
- 2 — सतीशचन्द्र नायक पिता शिवप्रसाद नायक  
उम्र :- 64 साल, धंधा :- वकालात  
नि. :- 62 / 6 सिरपुर धार रोड जिला इन्दौर
- 3 — गोपालकृष्ण पिता शिवप्रसाद नायक  
उम्र :- 50 साल, धंधा :- वकालात  
नि. :- ग्राम रंगवासा तहसील देपालपुर जिला इन्दौर
- 4 — विनोद कुमार पिता शिवप्रसाद नायक  
उम्र :- 62 साल, धंधा :- कृषि  
नि. :- ग्राम रंगवासा तहसील देपालपुर जिला इन्दौर
- 5 — शिवप्रसाद नायक पिता श्री लालाराम जी नायक  
उम्र :- 96 साल, धंधा :- वृद्धावस्था  
नि. :- ग्राम रंगवासा तहसील देपालपुर जिला इन्दौर

— प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता के तहत

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला इन्दौर के प्रकरण क्र 384/बी 121/2014 – 15 मे पारित एकपक्षीय आदेश दिं 22/8/2016 से असंतुष्ट हो यह निगरानी निम्न एवं अन्य आधारों पर सादर प्रस्तुत है :-

श्रीमान नाम  
महोदय 2014  
12.10.16  
अग 3665  
PBR-16

Signature  
20/10/16

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक

R 366580016

तहसील

सुंदर

विरुद्ध

सुजीवाहवा

जिला

इन्दौर

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

तहसील का प्रकरण क्रमांक.

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
15-11-2016	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. 20/8/16</p> <p>के विरुद्ध श्री. (सुजीवाहवा)</p> <p>के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/नहीं है/मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/..... रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p>प्रस्तुतकार</p> <p>आवेदक की ओर से श्री ए.ए.के. नामक अभिभावक उपस्थित। शाहमता पर सुना गया। कर्तव्य के आदेश दिनांक 22-8-2016 की साथ प्रतिलिपि का अवकाश</p>	15-11-16

15-11-16

देखिये

R 3665-PMY/16 3-11-17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि का नाम
	<p>किया गया। कवेकर डा. विना आवेदन को सुनवाई का अवसर दिये एक पत्रिका आदेश पारित किया गया है, जो प्रथम दृष्टया नैतिकता के सिद्धांत को अवहेलना है। अतः कवेकर का आदेश निरस्त किया जाकर निर्दिष्ट किया जाता है। उभय पक्ष को सुनकर प्रथम आदेश पारित करें।</p>	<p>Veritas J. K. J.</p>